



JALAUN POLICE

दिनांक – 27.06.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप मान० न्यायालय द्वारा 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमे में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- अभियुक्त कल्लू सिंह ठाकुर उर्फ हरवंश सिंह पुत्र बब्बू सिंह उर्फ जगभान सिंह नि० महेशपुरा थाना नदीगांव जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना नदीगांव में मु०अ०सं० 65/20(वाद सं० 32/20) धारा 452/354 ख भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 27.06.2025 को मा० न्यायालय पॉक्सो एक्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा **अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 452 भादवि व 10 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**